वेबसाईट : www.abvp.org पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक : 5 जनवरी 2020

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

निर्भया के बलात्कारियों तथा हत्यारोपियों को 'डेथ वारंट' मृतका को वास्तविक श्रद्धांजलि : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आज पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले में निर्भया के बलात्कारियों तथा हत्यारोपियों को 'डेथ वारंट' जारी करने के निर्णय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करती है। निश्चित ही यह कठोर निर्णय इस तरह के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

अभाविप ने निर्भया के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद देशव्यापी आंदोलन चलाकर बलात्कारियों एवं हत्यारोपियों को फांसी की सजा की मांग तथा इस तरह के जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की थी, साथ ही 'किशोर कानून अधिनियम' के प्रभाव में आने तक अभाविप ने अपना आंदोलन जारी रखा था।

अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री विनीता इंदवार ने कहा कि, "बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए हम लगातार फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में यह बहुत जरूरी हो गया है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में आरोपियों पर शीघ्र से शीघ्र सजा सुनिश्चित की जाए, निर्भया मामले में आया निर्णय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है तथा हम आशा करते हैं कि देश में महिलाओं के प्रति अपराध पूरी तरह से खत्म होंगे तथा महिलाओं के लिए बराबरी का हक पूरे देश में सुनिश्चित करने में राष्ट्र सफल होगा।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)